निर्णय न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी सुधारानी मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
	11.11.2021	23/2/26

1. हरीसिंह पुत्र मूला, जाट निवासी शेखपुर तहसील वजीरपुर
2. खुशीराम पुत्र नारायण, जाट निवासी शेखपुर तहसील वजीरपुर
3. देवीसिंह पुत्र नारायण, जाट निवासी शेखपुर तहसील वजीरपुर
4. महेश पुत्र नारायण, जाट निवासी शेखपुर तहसील वजीरपुर
5. चन्दा पुत्री नारायण, जाट निवासी शेखपुर तहसील वजीरपुर
6. विमला पुत्री नारायण, जाट निवासी शेखपुर तहसील वजीरपुर
7. सुशीला पुत्री नारायण, जाट निवासी शेखपुर तहसील वजीरपुर
8. मुकेश पुत्र ज्वाला, जाट निवासी शेखपुर तहसील वजीरपुर
9. सन्तरा पत्नि ज्वाला, जाट निवासी शेखपुर तहसील वजीरपुर ——प्रार्थीगण

बनाम

1. ज्ञानसिंह पुत्र धर्मसिंह, जाट निवासी शेखपुर तहसील वजीरपुर
2. भूरा पुत्र हरेत, जाट निवासी शेखपुर तहसील वजीरपुर
3. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार तहसील वजीरपुर ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 251 (ए) राज0टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित :— श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(ए) के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम शेखपुर में प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ख0नं0 416 रकबा 0.20 है0, ख0 नं0 424 रकबा 0.25 है0 स्थित है जिसमें आने जाने के लिए प्रार्थीगण के पास कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है। जिस रास्ते को प्रार्थीगण अपने खातेदारी की भूमि पर आवागमन हेतु उपयोग में पिछले काफी समय से लेते आ रहे हैं उसे अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जानबूझकर पुख्ता निर्माण कर अवरूद्ध किया जा रहा है। अप्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 408 रकबा 0.35 है0 जो अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज है में से वर्तमान आवागमन [illegible] रास्ता जिसे नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है, में [illegible] 20 [illegible] या एक अन्य स्थान जिसे नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया है में [illegible] 20 फीट चौडाई का रास्ता जो ख0नं0 407 गैर मुमकिन रास्ते की [illegible] को जोडता है से होकर रास्ता दिलवाया जावे जिससे प्रार्थीगण अपने खेतो की भूमि ख0नं0 416 व 424 पर पहुंच सके तथा अपनी भूमि से लाभान्वित होते रहें। प्रार्थीगण द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.04.07 17:14:40 IST
Reason: Self Attested

चाहे गए रास्ते की भूमि का शुल्क सरकार द्वारा दी गई डी0एल0सी0 की दर से जमा कराने को तैयार है इसलिए रास्ते की भूमि की लम्बाई चौडाई की नाप तोल की जाकर प्रार्थीगण को 20 फीट चौडा रास्ता उनकी खातेदारी भूमि ख0नं0 416 तक दिलवाया जावे। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को उनके खेत ख0नं0 416 व 424 ग्राम शेखपुर तक पहुंचने के लिए ख0नं0 408 ग्राम शेखपुर में से नजरी नक्शे में दर्शाए गए पीले रंग या लाल रंग की भूमि को आम रास्ते की भूमि के रूप में सरकारी रास्ते के रूप में दर्ज की जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिलाया जावे एवं अप्रार्थीगण द्वारा नजरी नक्शे में दर्शाए गए रास्ते की भूमि पर किए गए पुख्ता निर्माण को हटाकर रास्ते का खुलासा किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2074 से 2077 खाता संख्या 208, 239, 48, 33 ग्राम शेखपुर, नजरी नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किए हैं।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थीगण द्वारा चाहे जा रहे रास्ते के सम्बन्ध में तहसीलदार वजीरपुर से रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार वजीरपुर ने उनके कार्यालय के पत्रांक भू0अ0/2025/38 दिनांक 8.1.2026 से अपनी रिपोर्ट भिजवाई है। रिपोर्ट के साथ पटवारी, प0ह0 शेखपुर की रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस भी भिजवाई है।

बहस विद्वान वकील प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। तहसीलदार वजीरपुर ने अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2025/38 दिनांक 8.1.2026 में अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आर0टी0 एक्ट 1955 उनवान हरीसिंह वगैरा बनाम ज्ञानसिंह वगैरा में पटवारी हलका शेखपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। इससे यह स्पष्ट है कि तहसीलदार वजीरपुर द्वारा स्वयं के स्तर से कोई मौका नहीं देखा गया है जबकि नियमानुसार राजस्व अधिकारी जो कि भू–अभिलेख निरीक्षक के स्तर से कम का नहीं हो, से मौका रिपोर्ट लिया जाना आवश्यक है। इस प्रकार प्रकरण में नियमानुसार रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.04.07 17:14:40 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा धारा 251(ए) राज0टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/2/26 को सुनाया गया।

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलक्टर
वजीरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.04.07 17:14:40 IST
Reason: SelfAttested